शीर्ष प्राथमिकता
संख्या–6259/9-9-90-1 से/89

प्रेषक :

श्री पी. उमाशंकर
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त मुख्य नगर अधिकारी
समस्त नगर महापालिका।

लखनऊ : दिनांक : 27 अगस्त, 1990

नगर विकास अनुभाग–1

विषय : **नेहरू रोजगार योजना के अधीन नगरीय मजदूरी रोजगार योजना के क्रियान्वयन हेतु रूप रेखा।**

महोदय,

नेहरू रोजगार योजना का संक्षिप्त विवरण शासनादेश संख्या–666 (1)/1-9-1-90-5ने/90 दिनांक, 9 फरवरी, 1990 द्वारा प्रदेश की समस्त स्थानीय निकायों को पूर्व में ही उपलब्ध कराया जा चुका है तथा समस्त निकायों से यह भी अपेक्षा की जा चुकी है कि उक्त योजना की तीनों योजनाओं, यथा– नगरीय लघु उद्यम योजना, नगरीय मजदूरी रोजगार योजना एवं आवास निर्माण एवं झुग्गी झोपड़ी में सुधार के द्वारा रोजगार की योजना, के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय। योजना के कार्यान्वयन हेतु शासनादेश संख्या–6259/9-1-90-1ने/89 दिनांक 9 अगस्त, 1990 द्वारा समुचित निर्देश दिये जा चुके हैं।

नेहरू रोजगार योजना के अधीन नगरीय मजदूरी रोजगार योजना के क्रियान्वयन हेतु एक संक्षिप्त रूप-रेखा तैयार की गयी है जिसकी एक प्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप कृपया उक्त रूप.रेखा से जनपद की समस्त स्थानीय निकायों को भी अवगत कराने का क करें।

संलग्न :– यथोक्त।

भवदीय,

पी. उमाशंकर
विशेष सचिव

## नेहरू रोजगार योजना के अधीन नगरीय मजदूरी रोजगार का क्रियान्वयन

नागर स्थानीय निकायों के क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से उपयोगी सार्वजनिक सम्पत्ति के निर्माण हेतु नगरीय क्षेत्र में रहने वाले गरीब बेरोजगार नवयुवकों के श्रम का उपयोग उनको मजदूरी प्रदान कर किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य नगरीय गरीब व्यक्ति है।

2. इस योजना के अन्तर्गत एक लाख तक की जनसंख्या वाली समस्त नागर स्थानीय निकायों में गरीब लाभार्थियों के श्रम का उपयोग करके सार्वजनिक सम्पत्ति का निर्माण किया जाएगा और उन्हें जीवन यापन के लिए मजदूरी के आधार पर काम में लाया जायेगा।

3. इस योजना के अन्तर्गत नगरपालिकाओं द्वारा कराये जाने वाले कार्यों में कम लागत की जलापूर्ति योजना, सामुदायिक शौचालय निर्माण, मिट्टी के कार्य से संबंधित ड्रेनेज कार्य, सामुदायिक सुविधाएं आदि के कार्य सम्मिलित हैं। योजना के अन्तर्गत ऐसी सम्पत्तियों का सृजन किया जाना प्रस्तावित है जिसका स्थायी लाभ हो।

4. इस योजना के अन्तर्गत वही परिवार सहायता के पात्र होंगे जिनकी वार्षिक आय समस्त साधनों से रुपये 7,200 से अधिक न होगी। इस मामले में आय का प्रमाण-पत्र देने का अधिकार नगर पालिकाओं में अधिशासी अधिकारी एवं टाउन एरिया/नोटीफाइड एरिया कमेटियों में उनके सचिवों को होगा।

5. लाभार्थियों का चयन पात्रता के आधार पर संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा सर्वेक्षण करने के पश्चात् किया जाएगा तथा निकाय लाभार्थियों की सूची बनाकर उसका व्यापक प्रचार करेगी।

6. इस योजना में कार्य करने वाले व्यक्तियों को उस जनपद में लोक निर्माण विभाग के शिड्यूल के आधार पर प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दरें देय होगी किन्तु ये दरें भारत सरकार द्वारा मार्ग-निर्देशिका में निर्धारित दरों से अधिक नहीं होगी।

7. इस योजना के अन्तर्गत 20,000 से कम जनसंख्या वाले नगरीय क्षेत्रों में सामग्री एवं श्रम का अनुपात 50 : 50 होगा तथा 20,000 से अधिक और एक लाख तक की जनसंख्या वाले नगरीय क्षेत्रों यह अनुपात 60 : 40 होगा। जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि सामग्री एवं श्रम के निर्धारित अनुपात का पालन हो। इस योजना के अन्तर्गत अनुमानित अनुपात में अधिक सामग्री आने वाली सार्वजनिक सम्पत्तियों के निर्माण हेतु आवश्यक अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था हेतु स्थानीय निकायें अपने श्रोतों से नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को बढ़ा सकती हैं।

8. कार्यों का सम्पादन सूचीबद्ध नगरीय गरीब लाभार्थियों अथवा संगठन के रूप

में संगठित लाभार्थियों/सहकारी समितियों आदि द्वारा किया जाएगा। लिए जाने वाले कार्यों का चयन संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा किया जायेगा तथा आगणन की स्वीकृति संबंधित स्थानीय निकाय के बोर्ड के अनुमोदन के बाद जिला नेहरू रोजगार योजना समितियों के अनुमोदन पर दी जायेगा। जिलाधिकारी विलम्ब से बचने के लिए ऐसे आगणन की स्वीकृति इस समितियों की ओर से देकर उनकी कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। आगणन संबंधित स्थानीय निकाय के अभियन्ता द्वारा या किसी सरकारी विभाग के अभियन्ता द्वारा बनाया जायेगा। कार्य का सम्पादन ठेकेदार द्वारा नहीं कराया जायेगा बल्कि स्थानीय निकाय इसे सीधे अपने पर्यवेक्षण में करायेगी तथा कार्य के सही सम्पादन और सर्वेक्षण हेतु उचित स्तर के अधिकारी/कर्मचारी लगायें जायेंगे।

9. नगरीय मजदूरी रोजगार योजना के अन्तर्गत आने वाला सम्पूर्ण व्यय अनुदान के रूप मे होगा जिसे केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार/नागर स्थानीय निकायें 80 : 20 के अनुपात में वहन करेगी।

10. इस योजना के कार्यान्वयन का दायित्व स्थानीय निकाय के स्तर पर संबंधित स्थानीय निकाय का तथा जिला स्तर पर जिलाधिकारी का होगा।

11. जिला स्तर पर नेहरू रोजगार योजना के अनुश्रवण के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नेहरू रोजगार योजना की अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। इस योजना का अनुश्रवण उसी समिति के द्वारा किया जायेगा जो प्रत्येक माह एक निश्चित तिथि को बैठक करके योजना का अनुश्रवण करेगी।